दिनांक 10.08.2020 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

निर्धारित समय के पूर्व दुकान खोलने पर निगम की टीम ने की कार्यवाही

भिलाई नगर। नगर पालिक निगम की टीम ने जिला प्रशासन के आदेश का उल्लंघन कर व्यावसाय करने वाले दो व्यापारियों सहित पांच लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या अन्य तरीके से चेहरा ढंका नहीं पाए जाने पर तीन लोगों से अर्थदंड वसूला गया। वहीं निर्धारित समय के बाद भी दुकान का आधा शटर गिराकर व्यावसाय करने वाले दो दुकानदारों से 3600 रूपए जुर्माना वसूला गया। दुकानदार को निर्धारित समय में दुकान खोलने और बंद करने की समझाइश और आदेश का उलंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई! सहायक राजस्व अधिकारी संजय वर्मा की टीम ने सोमवार को गोल मार्केट वैशाली नगर का निरीक्षण किया। इस दौरान एक दुकानदार जिला प्रशासन की ओर से निर्धारित समय से पहले दुकान का आधा शटर गिराकर सामान बेच रहा था। उनसे निगम की टीम ने 3100 रूपए अर्थदंड वसूल किया। वहीं जोन- 3 मदर टेरेसा की टीम ने सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क के घूमने वाले तीन लोगों से 200-200 रूपए जुर्माना वसूल किया। जोन- 5 की टीम ने एक दुकान के खिलाफ 500 रूपए अर्थदंड की कार्रवाई की।